अध्याय-VI
वन प्राप्तियां

अध्याय-VI
वन प्राप्तियां

6.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का प्रमुख है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल को 37 क्षेत्रीय मण्डलों में आठ वन अरण्यपालों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन दोहन कार्यकलापों एवं पुनरूत्पति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वन प्राप्तियों से संबंधित 28 इकाइयों के 2016-17 के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 103 मामलों में ₹61.64 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली, ब्याज/विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण, जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि तथा अन्य अनियमितताएं पायी गई जो निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत दर्शाई गई है:

तालिका-6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	*श्रेणी*	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली	35	15.06
2.	ब्याज/विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण	09	2.51
3.	जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि	17	2.95
4.	अन्य अनियमितताएं	42	41.12
	योग	103	61.54

विभाग ने वर्ष के दौरान छ: मामलों में ₹47.17 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिसमें से छ: मामलों में ₹38.99 लाख की राशि वसूल की गई जोकि विगत वर्षों से संबंधित है।

₹34.30 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफ मे चर्चा की गई है।

6.3 मनमाने ढ़ग से रोकी गई रॉयल्टी की मांग न उठाना

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा रॉयल्टी को रोकने के कारण वन विभाग को ₹31.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा वनों से रेज़िन तथा बचे-खुचे (कबाड़) इमारती लकड़ी को दोहन करने का कार्य किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रेज़िन ब्लेजों[1], खड़े वृक्षों तथा अन्य वन उत्पादों का समय-समय पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा संदोहन करने के लिए रॉयल्टी की दरों, नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करने हेतु मूल्य निर्धारण समिति गठित की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ लीज़ अवधि के दौरान वन विभाग द्वारा आवंटित किये गए रेज़िन तथा इमारती लकड़ी के संदर्भ में देय रॉयल्टी का भुगतान दो किस्तों में करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ ने (दिसम्बर 2012) इमारती लकड़ी, रेज़िन तथा बांस की रॉयल्टी के संदर्भ में विभाग से जनजातीय क्षेत्रों के डिपोज को आपूर्ति की गई ईधन लकड़ी के मूल्य एवं परिवहन प्रभारों के रूप में वसूली योग्य राशि के स्थान पर ₹17.35 करोड़ का भुगतान रोक रखा था जिसको कि विभाग से इसकी प्राप्ति होने पर जारी किया जाना था। विभाग ने 2007-08 से 2012-13 की अवधि के लिए वास्तव में भुगतान योग्य राशि ₹15.86 करोड़ के स्थान पर ₹17.31 करोड़ की राशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इस प्रकार, विभाग की ईधन लकड़ी के लिए किये गए अधिक भुगतान तथा इमारती लकड़ी के लिए रोकी गई राशि की मांग करने में असफलता के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹18.80 करोड़ के राजस्व को वसूल नहीं किया गया।

इसके आगे 2012-13 तक जनजातीय क्षेत्रों को आपूर्ति किये गए वन उत्पादों के मूल्य एवं परिवहन प्रभारों के रूप में 2014 के रेज़िन सत्र के लिए ₹4.16 करोड़ की रेजिन रॉयल्टी की राशि की प्रथम किस्त हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ ने जारी नहीं की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे यह भी उद्घाटित हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ ने 2015 के रेज़िन सत्र के संदर्भ में ₹9.42 करोड़ की कुल रॉयल्टी के स्थान पर ₹1.26 करोड़ की आंशिक रॉयल्टी का भुगतान जारी किया जो कि 15 दिसम्बर 2015 को भुगतान योग्य था। इस प्रकार ₹8.16 करोड़ की रॉयल्टी की अदायगी भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ से वसूली योग्य थी। विभाग ने ईधन लकड़ी के मूल्य/परिवहन प्रभारों के प्रति की गई अधिक अदायगी सहित ₹31.12 करोड़ (₹18.80 करोड़ + ₹8.16 करोड़ + ₹4.16 करोड़) की रॉयल्टी भुगतान के लिए मांग नहीं की ।

[1] चीड़ के वृक्ष पर रेज़िन टैप करने के लिए कट का चिन्ह

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (जुलाई 2017) उत्तर दिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने ₹72.27 करोड़ की रॉयल्टी भुगतान जून 2013 से मार्च 2017 के दौरान जारी किया। तथापि, जुलाई 2017 में उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुसार ₹31.12 करोड़ का भुगतान विभाग को किया हुआ नही पाया गया था। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

6.4 अंतर रेज़िन रॉयल्टी का भुगतान न करना

रेज़िन सत्र 2014 के लिए रेज़िन रॉयल्टी की अंतर राशि की मांग उठाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹2.48 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन के संदोहन के लिए रॉयल्टी की दरों, नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करने हेतु मूल्य निर्धारण समिति गठित की गई थी। मूल्य निर्धारण समिति ने 11 जुलाई 2014 को आयोजित की गई अपनी बैठक में रेज़िन सत्र 2014 के लिए ₹58.78 प्रति रेज़िन ब्लेज पर अस्थाई रॉयल्टी दरों को अनुमोदित किया था तथा फरवरी 2016 में आयोजित की गई बैठक में मूल्य निर्धारण समिति ने इन अस्थाई रॉयल्टी दरों को ₹75.30 प्रति रेज़िन ब्लेज पर नवीकृत किया।

लेखापरीक्षा ने रेज़िन ब्लेजों के भुगतान की विवरणियों से (अक्तुबर 2016 तथा फरवरी 2017 के मध्य) पाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने रेज़िन सत्र 2014 के लिए मूल्य निर्धारण समिति द्वारा नियत की गई अंतिम रॉयल्टी दरों के आधार पर निकाली गई देय रॉयल्टी ₹10.80 करोड़ के स्थान पर ₹8.32 करोड़ की रेज़िन रॉयल्टी के भुगतान को जारी किया था। रेज़िन सत्र 2014 के लिए निर्धारित की गई रॉयल्टी दरों पर अंतर राशि ₹2.48 करोड़ रॉयल्टी की राशि की न तो विभाग द्वारा मांग उठाई गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने इसका भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹2.48 करोड़ के राजस्व की अवसूली हुई। विभाग के पास समय पर बिल की मांग करने तथा संदेयों की वसूली का अनुगमन करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप संदेयों का लम्बे समय तक लम्बित रहे तथा उनकी वसूली नहीं हुई।

सरकार तथा विभाग को नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य मामला प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

6.5 रॉयल्टी के अल्प-भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

नवम्बर 2015 से जून 2016 में ₹6.52 करोड़ की रॉयल्टी के अल्प-भुगतान पर ₹70.47 लाख के ब्याज का विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

मूल्य निर्धारण समिति ने जुलाई 2007 के निर्णय के अनुसार, कम ऊंचाई वाले सल्विज लॉट पर रॉयल्टी की प्रथम किस्त के लिए 20 मार्च, द्वितीय किस्त के लिए 20 जून तथा अधिक ऊंचाई वाले लॉट्स के लिए 30 नवम्बर व 20 मार्च नियत की जो कि 2007-08 से आगे के लॉट्स के लिए लागू थी और 15 सितम्बर और 15 दिसम्बर राल (रेजिन ब्लेजिज) के लिए नियत की। मूल्य निर्धारण समिति ने 15 फरवरी 2005 की बैठक में निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करेगी। यदि भुगतान रियायत अवधि के भीतर किया जाता है, तो 90 दिनों की रियायत अवधि स्वीकार्य होगी अन्यथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ रॉयल्टी के भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

रॉयल्टी के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की 10 वन मण्ड़ल अधिकारियों[2] की अगस्त 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2015-16 के दौरान 112 इमारती लकड़ी के लॉट्स (17 उच्च तथा 95 निम्न लॉट्स) दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को सौंपे गए थे जिनके लिए ₹6.71 करोड़ की रॉयल्टी भुगतान योग्य थी। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने ₹19.20 लाख का भुगतान निर्धारित तिथि पर किया तथा ₹6.52 करोड़ मार्च 2017 तक भुगतान हेतु शेष थे। रॉयल्टी के भुगतान में विलम्ब 31-03-2017 तक 284 तथा 487 दिनों के मध्य था। अत: रॉयल्टी के भुगतान के विलम्ब पर ₹70.47 लाख का ब्याज नवम्बर 2015 से जून 2016 की अवधि के लिए यद्यपि उद्ग्राह्य था परन्तु विभाग द्वारा उद्गृहित नहीं किया गया था।

[2] वन मण्ड़ल अधिकारी चौपाल: 13 लॉट्स: ₹18.89 लाख, ड़ल्हौजी: पांच लॉटस: ₹10.55 लाख, करसोग: तीन लॉट्स: ₹25.78 लाख, राजगढ़: नौ लॉट्स: ₹0.55 लाख, रामपुर: चार लॉट्स: ₹0.41 लाख, रोहडू: नौ लाट्स: ₹3.81 लाख, शिमला (खलिनी): 14 लॉट्स: ₹5.48 लाख, सोलन: दो लॉट्स: ₹0.51 लाख, ऊना: 51 लॉट्स: ₹1.65 लाख तथा कुनिहार: दो लॉट्स: ₹2.84 लाख

इसे इंगित किये जाने पर वन मण्ड़ल अधिकारियों ने बताया कि रॉयल्टी तथा ब्याज़ की राशि को वसूल करने हेतु मामले को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ उठाया जाएगा।

सरकार तथा विभाग को मामला अक्तूबर 2016 तथा जून 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

(कुलवन्त सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक : 26 फरवरी 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 12 मार्च 2018